न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाशचन्द गुर्जर, आर ए एस उपखण्ड अधिकारी द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या

179 / 2016

निर्णय दिंनाक–

05–02–2018

उनवान

राजकुमार पि0मु0 वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

–वादी

बनाम

1– बदामबाई पुत्री वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

2– विमलाबाई पुत्री वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

3– तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित– श्री दिनेश मोरवाल अधिवक्ता वादी

श्री बाबूलाल जैन अधिवक्ता प्रतिवादी न01 व 2

निर्णय

वादी ने, प्रतिवादीगण के विरूद्ध उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज के अनुतोष हेतु यह वाद पत्र न्यायालय हाजा मे दिंनाक 06–05–2016 को प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र मे अभिखिलित किया गया है कि वादी एंव प्रतिवादीगण न0 1 व 2 के गैरखातेदारी मे अंकित भुमि खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0) मे स्थित है। उक्त आराजीयात के पुराने ख0न0 1549 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम उनियारा वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता वैध मदन कुमार को किमतन आवंटन हुई थी तथा नामान्तकरण सं0 976 दिंनाक 29–07–86 से गैरखातेदारी मे अंकित हो गई थी, तभी से मोके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता ने उक्त भुमि गैरखातेदारी से खातेदारी मे अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

श्रीमान् तहसीलउदार साहब उनियारा ने पत्र कमाक 1354 दिंनाक 17–04–98 के द्वारा शेष राशि 543.75 रूपये जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे, जिसकी पालना मे दिंनाक 24–04–1998 को ही 544 रूपये जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत कर दी थी, किन्तु अब तक भी उक्त भुमि को गैरखातेदारी से खातेदारी मे अंकित नही की है, जिसे खातेदारी मे अंकित किया जाना न्यायोचित है। वादी एवं प्रतिवादी न01 व 2 के पिता वैध मदन कुमार का देहावसान काफी समय पूर्व ही हो चुका है तथा उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी न01 व 2 की खातेदारी मे अंकित हो गई है। प्रतिवादीगण 1 व 2 का विवाह वर्षो पूर्व हो चुका है, तथा वह अपने–अपने ससुराल निवास करती है, वर्षो पूर्व ही प्रतिवादीगण 1 व 2 ने अपने हिस्से को वादी के पक्ष मे छोड दिया था, उक्त आराजीयात वर्षो से वादी के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रतिवादीगण 1 व 2 का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। आज से 8 दिन पूर्व वादी उक्त आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु बैंक शाखा उनियारा गया तो उन्होने गैरखतेदारी एवं प्रतिवादीगण न01 व 2 का नाम अंकित होने से मना किये जाने के कारण बिनाय दावा आज से 8 दिन पूर्व पैदा होना उल्लेखित करते हुए वादग्रस्त भुमि ख0न0 1095 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम उनियारा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने की अधियाचना की।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरीस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादीगण न01 व 2 की ओर से श्री बाबूलाल जैन अधिवक्त ने अभिभाषक पत्र इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया, गवाह केरूप मे P W 1 राजकुमार, P W 2 मुकेश, P W 3 नन्दसिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे प्रदर्श 1 नकल नामान्तकरण कमाक 976 दिंनाक 29–07–1986ख प्रदर्श 2 पंत्राक तहसीलदार उनियारा कमाक 1354 दिंनाक 17–4–1998, प्रदर्श 3 रसीद बकाया राशि जमा 24–4–98, प्रदर्श 4 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 5 हकत्याग पत्र, प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 प्रस्तुत किये है।

उभय पक्षो के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर गोर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल नामान्तकरण कमाक 976 दिंनाक 29–7–86 से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भुमि वेध मदन कुमार जेन को आवंटन हुई थी तथा गैरखातेदारी से खातेदारी का प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा अपने पत्र कमाक 1364 दिंनाक 17—4—1998 के जरिये मात्र बकाया राशि 543.75 रूपये चाही गई थी तथा चाही गई राशि दिंनाक 24—4—1998 को ही जमा करवा देने का तथ्य भी प्रस्तुत रसीद से है तथा उक्त भुमि के पुराने खसरा नम्बर 1549 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा के नये ख0न0 1095 रकबा 0.29 हैक्टर बनना भी प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित है। प्रस्तुत वर्तमान जमाबन्दी सं0 2072—75 मे वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम अंकित होना व हकत्याग से वादी के पक्ष मे हकत्याग करना तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त भुमि पुश्तेनी होना भी पूर्णतया स्पष्ट है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा राजीनामा से वादी के वाद का परोक्ष समर्थन है। प्रतिवादीगण को वादी का वाद डिकी किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन मे न्यायालय वादी का वाद स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वादी का वाद डिकी किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा के सम्पूर्ण हिस्से पर वादी राजकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्चा अपना—अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिंनाक 05—02—2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाशचन्द गुर्जर, आर ए एस उपखण्ड अधिकारी द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या 179/2016

निर्णय दिंनाक– 05–02–2018

उनवान

राजकुमार पि0मु0 वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0) –वादी

बनाम

1– बदामबाई पुत्री वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

2– विमलाबाई पुत्री वैध मदन कुमार जाति जैन निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक (राज0)

3– तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ जिला टोंक (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नम्बर :– 179/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाशचन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री दिनेश मोरवाल वकील वादी मिनजाबिन मुद्दइ वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुददायलह श्री बाबूलाल जैन पेश होकर हुक्म दिया जाता है आराजी खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.29 हैक्टर वाके ग्राम उनियारा तहसील उनियारा के सम्पूर्ण हिस्से पर वादी राजकुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्चा अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 02 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner